संसद के समक्ष अभिभाषण – 10 फरवरी 1958

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

संसद के नये सत्र का भार संभालने के समय आपका पुनः स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं इस योजना के द्वितीय वर्ष के आरम्भ से ही हमारी आर्थिक व्यवस्था पर काफी दबाव रहा है। अपने मई के अभिभाषण में मैंने आपसे कहा था:—

> "जिन कमियों का मैंने जिक्र किया है उन्हें दूर करने का अधिक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम निर्माण-संबंधी काम को स्थगित कर दें, पर वह तरीका रचनात्मक या लाभदायक नहीं है, क्योंकि समस्या को सुलझाने का यह सच्चा या स्थायी उपाय नहीं है। हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माण कार्य में सुधार को बनाये रखने के लिए अपने साधनों को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। मेरी सरकार इस समस्या से और इसके लिए आवश्यक प्रयत्न से पूर्ण रूप से अवगत है। उसे इस बात की भी चिन्ता है कि इन तात्कालिक कठिनाइयों के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा न पड़ने पावे और जहां जैसी जरूरत हो कार्यप्रणाली में संशोधन द्वारा या योजनानुसार साधनों को जुटाकर उन कठिनाइयों पर काबू पाया जाये और किसी भी अवस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विकास की गति धीमी न होने दी जाये।"

आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मेरी सरकार ने ऐसे कड़े उपाय अपनाये हैं जो योजनाबद्ध रचनात्मक कार्यक्रम की कठिनाइयों को दूर कर सकें, जो मुद्रास्फीति संबंधी

प्रवृत्तियों का नियंत्रण कर सकें, जो विदेशी मुद्रा विनिमय की स्थिति से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें और जो योजना के अंतर्गत सभी कामों को पूरा करने में सहायक हो सकें। इस दिशा में मेरी सरकार ने अभी तक जो कदम उठाये हैं उनका फल अच्छा हुआ है और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले महीनों में हमारी स्थिति में सुधार भी हुआ है। आयात कम करने के लिए और विदेशी मुद्रा का उपार्जन करने के लिए सरकार ने जो कार्यवाही की है उसके कारण विदेशी परिसम्पत्तियों के ह्रास की गति कम हो गयी है। ऋण द्वारा और कुछ योजनाओं के संबंध में विशेष व्यवस्था द्वारा, आवश्यक पूंजीगत सामान के लिये स्थगित अदायगी की व्यवस्था से और अत्यंत आवश्यक कामों को छोड़कर सभी मदों के लिए विदेशी मुद्रा के प्रयोग पर रोक लगाकर, सरकार ने स्थिति में सुधार करने का यत्न किया है और बहुत हद तक वह इसमें सफल भी हुई है। इस संबंध में मैं उन देशों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनसे हमें इस संबंध में सहायता मिली है। मैं यहां सोवियत संघ, केनेडा, जर्मनी, जापान और विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जिक्र करना चाहूंगा।

उत्पादन में वृद्धि और घरेलू बचत हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है। अधिक उत्पादन से विदेशी विनिमय की हमारी आवश्यकतायें कम रहेंगी और विनिमय के उपार्जन में सहायता मिलेगी। बचत द्वारा मुद्रास्फीति की रोकथाम होगी और हमारे आन्तरिक साधनों को बल मिलेगा। इन दोनों कामों के लिए यह आवश्यक है कि जनसाधारण इन समस्याओं को समझें और कुर्बानी के लिए तैयार रहें, सतर्क रहें, मितव्ययिता को अपनावें और जनमत द्वारा समर्थन करें।

विदेशी-मुद्रा-संबंधी और वित्तीय मामलों के बारे में मेरी सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे हमारी अर्थव्यवस्था के स्थायी रहने में मदद मिली है। 1956 में और 1957 के आरम्भ में चीजों के दाम ऊंचे चढ़ते जा रहे थे, किन्तु इस कार्यवाही के फलस्वरूप कीमतों का बढ़ना रुक ही नहीं गया बल्कि गत वर्ष के अंतिम महीनों में उनसे कुछ कमी भी हुई, जो अभी जारी है। हमारे देनदारी के खाते के घाटे में भी काफी कमी हुई है। पिछले साल की अपेक्षा साख-संबंधी स्थिति में भी बहुत कुछ सुधार हुआ है। हमारे बैंक-संबंधी साधनों में वृद्धि हुई है और बैंकों द्वारा मंजूर किये गये ऋण भी अन्दाज के अन्दर रहे हैं। सट्टे की प्रवृत्ति को दबाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखेगा।

देश के भीतर मूल्यस्तर और विदेशों में अदायगी की हमारी क्षमता से खाद्य अनाजों की उपलब्धि और उनकी कीमत का गहरा संबंध है। सूखे के कारण देश के कुछ भागों में फसलों की बरबादी हमारे लिए घोर चिन्ता का विषय है। सरकार के पास अनाज का भंडार है और आयात द्वारा इस संचय को उचित स्तर पर स्थिर रखा जायेगा। इसके साथ ही अन्न के परिवहन पर सीमित किन्तु अनिवार्य नियन्त्रण भी किया गया है। अनाज के व्यापार के लिए बैंकों द्वारा उधार दिये जाने का भी मेरी सरकार ने नियमन किया है ताकि अनुचित संग्रह न किया जा सके। सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानों

द्वारा बड़े पैमाने पर जनता में अन्न के वितरण की व्यवस्था भी की है। इन उपायों से महंगाई की प्रवृत्ति की काफी रोकथाम हुई है।

फसलों के खराब हो जाने के बावजूद, 1956-57 में उत्पादन अधिकतम हुआ है जो 1953-54 में हुआ था। कुल खाद्य उत्पादन 6 करोड़ 87 लाख टन हुआ जो 1955-56 की अपेक्षा 5 प्रतिशत अधिक था। कृषि उत्पादन की अखिल भारतीय गणना के अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष करीब 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यापारी फसलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो कपास के उत्पादन में 18 प्रतिशत तथा गन्ने और तिलहन के उत्पादन में क्रमशः 13 और 6 प्रतिशत रही है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपूर्व प्रयास किया जा रहा है। अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है।

औद्योगिक उत्पादन में भी काफी सुधार हुआ है। विदेशी विनिमय की कमी के कारण आयात में काट-छांट का एक सुपरिणाम यह हुआ है कि इससे देश के साधनों तथा क्षमता को अधिक उपयोग और विकास का अवसर मिला। सरकारी और गैर-सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस दिशा में प्रगति अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसी प्रकार हम अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उन्नत कर सकते हैं, और इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति भी है। यद्यपि इस नीति की सफलता का आधार आवश्यकता है, फिर भी इसके कारण विदेशी साधनों पर हमारे उद्योग की निर्भरता कम हो सकेगी।

1957 में कोयले का उत्पादन 4 करोड़ 30 लाख टन हुआ, जो उत्पादन की नयी सीमा थी, जबकि 1956 में यह उत्पादन 3 करोड़ 90 लाख टन था। बहुत से नये क्षेत्रों में कोयले की खोज के लिए खुदाई और पूर्वेक्षण किये गये हैं और आशा की जाती है कि कुछ ही महीनों में बहुत-सी नयी खानों में काम चालू किया जा सकेगा।

अभी हाल में आसाम ऑयल कम्पनी के साथ समझौता किया गया है कि जिसके अनुसार रुपया कम्पनी विस्थापित की जायेगी और इसमें $33^{1}/_{3}$ प्रतिशत हिस्सा सरकार का होगा। इस कम्पनी का काम नाहरकटिया के कूपों से तेल का उत्पादन और वहां से तेल का परिवहन होगा। तेल की सफाई के लिए आसाम और बिहार में दो कारखाने स्थापित होंगे। तेल के लिए देश के दूसरे भागों में भी पूर्वेक्षण और ढूंढ़-खोज की जा रही है।

भारतीय जहाजों के अविलम्ब निर्माण और विकास के लिए एक जहाज निर्माण कोष की स्थापना की गई है। इस कोष का आधार भारतीय मुद्रा होगा जिससे कि इस काम के लिए आर्थिक साधन निश्चित रूप से उपलब्ध हों। यह कोष स्थायी होगा और इसकी प्रतिवर्ष मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।

बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं के संबंध में संतोषजनक प्रगति हो रही है। दामोदर घाटी में माइथोन बांध का उद्घाटन गत सितम्बर में हो गया था। भाखड़ा योजना के

संबंध में कार्यक्रम के अनुसार ही नहीं बल्कि उससे बढ़ कर प्रगति हो रही है। नागार्जुन सागर में निर्माण का काम गत जुलाई मास में आरम्भ किया गया। दूसरी बहुमुखी योजनाओं पर भी संतोषजनक रूप से कार्य जारी है।

भारी उद्योगों की दिशा में काफी प्रगति हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में एक भारी मशीन बनाने का कारखाना और कई एक अन्य योजनायें सोवियत संघ की सरकार द्वारा दी गई विशेष ऋण की सहायता से चालू की जायेंगी। लोहा ढालने का एक बड़ा कारखाना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया जायेगा। नंगल में वैज्ञानिक खाद का एक बड़ा कारखाना इंग्लैंड, फ्रांस और इटली की आर्थिक सहायता से बन रहा है। नेवेली में भी खाद का एक कारखाना बनाने की योजना है। बिजली का सामान तैयार करने के लिये एक बड़ा कारखाना ब्रिटिश सहायता से भोपाल में बनाया जायेगा। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात के बड़े कारखानों के निर्माण की दिशा में काफी प्रगति की जा चुकी है।

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन 1953 में किया गया था, अब काफी आगे बढ़ चुका है और इसके कारण मलेरिया की बहुत कुछ रोकथाम हुई है। अब हमारा ध्येय इस बीमारी का पूर्ण उन्मूलन है। फाइलेरिया नियंत्रण के कार्य में भी अच्छी प्रगति हुई है। गंदी और पुरानी बस्तियों के सुधार का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बराबर उन्नति कर रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालायें औद्योगिक और राष्ट्रीय विकास संबंधी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। टेक्निकल जनशक्ति के साधनों के विस्तार के लिए विशेष प्रयत्न किया जा रहा है।

पिछले वर्ष में आणविक शक्ति विभाग का काफी विस्तार किया गया। दो नए रियेक्टर और कई नये यंत्र इस समय बनाये जा रहे हैं। मौजूदा वर्ष के समाप्त होने तक आणविक शक्ति के लिए और रियेक्टरों के लिए ईंधन के रूप में उपयुक्त यूरेनियम धातु का उत्पादन शुरू हो जायेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में एक या अधिक आणविक शक्ति केन्द्र स्थापित करने का मेरी सरकार का विचार है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका करीब ढाई साल पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था, पर्याप्त उन्नति की है। राज्यों की सरकारों के प्रबंध में मध्यम बैंक, जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के रूप में चलाया जायेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिक निकट लाये जा सकें, इसके लिए कई सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

योजना आयोग, केंद्र और राज्यों के लिए योजनायें बनाने में और उपलब्ध साधनों की दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवश्यक संशोधन करने में व्यस्त हैं। इसके साथ ही आयोग को इस बात का ध्यान रखना है कि देश के विकास संबंधी कार्यक्रम

को किसी प्रकार का धक्का न लगे। इस संबंध में योजना के मूल तत्वों के बारे में आयोग के प्रयत्नों के परिणाम मेरी सरकार इस सत्र में आपके सामने रखेगी।

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सामुदायिक विकास केन्द्रों की संख्या इस समय 2,152 है जिनमें 2,76,000 ग्राम आते हैं। इन ग्रामों की जनसंख्या 15 करोड़ है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निश्चय किया है कि प्रत्येक केन्द्र को ही आयोजन और विकास की इकाई और सब विकास विभागों की सामान्य एजेंसी माना जाए। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि विभागीय विकास बजटों को केन्द्र के बजट से समन्वित किया जाए। विकास केन्द्र अधिकारी को इस बजट के संचालन का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने प्रशासन के क्षेत्र में अधिक विकेन्द्रीकरण का फैसला भी किया है और यह निश्चय किया है कि ग्रामों में और जिलों में सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक अधिकार दिये जायें। विकेन्द्रीकरण की योजना स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्यों की सरकारें ही स्वयं तैयार करेंगी। सुधरी हुई खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कृषक नेताओं की ट्रेनिंग की एक योजना चालू की गई है।

राजभाषा आयोग की सिफारिशें इस समय विचाराधीन हैं। संसद् के 30 सदस्यों की एक समिति उनका अध्ययन कर रही है। संसद के सदस्यगण, इस संबंध में कोई भी आदेश जारी किये जाने से पहले आपको आयोग के प्रतिवेदन पर और संसद की समिति के विचारों पर अपना मत प्रकट करने का अवसर अविलम्ब दिया जायेगा।

दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम, 1957 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ में निगम स्थापित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

कपड़ा और चीनी उद्योगों के लिए त्रिदलीय वेतन बोर्ड स्थापित किये गये हैं। दूसरे बड़े उद्योगों के लिए भी यथासमय ऐसे बोर्ड स्थापित करने का मेरी सरकार का विचार है। फिलहाल कुछ चुने हुए उद्योग-धन्धों में ऐसी योजनाएं चालू की गई हैं जिनसे उद्योगों के संचालन में मजदूर अधिकाधिक भाग ले सकें। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया जा रहा है और 1952 के कर्मचारी प्रोविडेन्ट फन्ड अधिनियम को अब 19 उद्योगों पर लागू कर दिया गया है और इस अधिनियम के अंतर्गत अब 6,215 कारखाने आ गये हैं। चन्दे की कुल रकम प्रायः 100 करोड़ जमा हो चुकी है।

नागा पहाड़ी इलाके की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। अगस्त, 1957 में कोहिमा में आयोजित नागा लोगों के सम्मेलन के नेताओं ने जो मांगें पेश की थीं उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसके फलस्वरूप नागा पहाड़ी क्षेत्र और त्यूनसांग फ्रन्टिया डिवीजन को मिलाकर गत नवम्बर में संसद के अधिनियम के द्वारा एक नई इकाई बना दी गई है।

1957 में संसद ने 68 विधेयकों को पारित किया और इस समय 8 विधेयक आपके विचाराधीन हैं। चालू सत्र में वाणिज्य जहाजी बेड़ा (मर्चेंट शिपिंग) व्यापार चिह्न

(ट्रेडमार्क) और वाणिज्य चिह्नों (मर्चेंडाइज्ड मार्क) के संबंध में विधान प्रस्तुत करने का मेरी सरकार का विचार है। विभिन्न मामलों से संबंधित संशोधन विधान भी आपके समक्ष रखे जायेंगे।

आगामी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़ों का विवरण आपके समक्ष रखा जायेगा।

विदेशों से हमारे संबंध बराबर मैत्रीपूर्ण बने रहें। पिछली बार जब मैंने संसद के समक्ष अभिभाषण दिया था उस समय से अब तक गणराज्य के सम्मानित अतिथियों के रूप में इण्डोनेशिया, वियतनाम गणराज्य और वियतनाम प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपतियों का, युगोस्लाव संघ प्रशासनिक परिषद् के उपराष्ट्रपति का, बर्मा*, श्रीलंका, चेकोस्लोवाकिया, जापान और इंग्लैंड के प्रधान मंत्रियों का, फ्रांस और मोरक्को के विदेश मंत्रियों का, घाना के वित्त मंत्री का, घाना और मॉरीशस के शिक्षा मंत्रियों का और कई देशों से आने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करने का हमें श्रेय मिला।

गत जून के अंत में मेरे प्रधानमंत्री ने लन्दन में होने वाले राष्ट्र-मंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने सीरिया, डेनमार्क, फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, मिस्र, सूडान, जापान, बर्मा* और श्रीलंका की भी यात्रा की। उपराष्ट्रपति ने भी चीन, मंगोलिया, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस और श्रीलंका की सद्भावना यात्रा की।

यद्यपि कोई तात्कालिक संकट विद्यमान नहीं है, फिर भी संसार की स्थिति संकटपूर्ण है। यह आशंका बराबर बनी है कि यदि गतिरोध और तनाव की भावना को रोका नहीं गया और विशेषकर बड़े राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नींव नहीं रखी गई, तो किसी भी समय स्थिति बिगड़कर विश्वव्यापी संघर्ष का रूप ले सकती है।

सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा उपग्रहों का सफल प्रयोग मानव का, देश और काल की विजय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह विज्ञान की महान उन्नति का प्रतीक है किन्तु विश्व की तनावपूर्ण स्थिति को और अन्तर-महाद्वीपीय प्रक्षेपण अस्त्रों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक आविष्कार विश्वशांति के लिए एक नया संकट पैदा कर सकते हैं।

नि:शस्त्रीकरण की दिशा में राष्ट्रों के प्रयत्नों में गतिरोध पैदा हो गया है। इस समस्या के सफलतापूर्ण हल के लिए यह आवश्यक है कि अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा सम्मिलित प्रयत्न किया जाये और जो भी निर्णय किये जायें उनसे ये दोनों राष्ट्र सहमत हों। संयुक्त राष्ट्र की पिछली साधारण सभा में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई थी, किन्तु गतिरोध बराबर बना है। फिर भी साधारण सभा ने सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव नि:शस्त्रीकरण के प्रश्न पर गतिरोध के बाद पास किया गया, इसलिए यह आशा होती है कि इस मामले पर नवीन दृष्टिकोण से फिर विचार किया जायेगा।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

मेरी सरकार का यह मत है कि बड़े राष्ट्रों की ऊंचे स्तर पर बातचीत, जिसमें वे ऐसे राष्ट्रों को भी साथ ले सकें, जिनके बारे में वह सहमत हों, तनाव को दूर करने में, संयुक्त राष्ट्र के 14 दिसम्बर, 1957 के प्रस्ताव के अनुसार शांतिपूर्ण सहिष्णुता का वातावरण पैदा करने में और नि:शस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगी।

संयुक्त राष्ट्र में मेरी सरकार बराबर तनाव दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करती रही है। मेरी सरकार का यह मत है कि सह-अस्तित्व और एक दूसरे के प्रति आदर की भावना द्वारा ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

भारत को नि:शस्त्रीकरण आयोग का सदस्य निर्वाचित किया गया है। यह आयोग सफलतापूर्वक तभी कार्य कर सकता है जब समस्त संबंधित देश इसमें भाग लेने को तैयार हों। मेरी सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगी।

संयुक्त राष्ट्र में और उसके बाहर भी मेरी सरकार आणविक विस्फोट पर रोक लगाने के लिए बराबर जोर देती आ रही है। इन विस्फोटों के संकट से विज्ञानवेत्ता और संसार के जनसाधारण अधिकाधिक चिंतित होते जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ के सर्वोच्च अधिकारियों से नि:शस्त्रीकरण की ओर प्रथम पग के रूप में इन विस्फोटों को स्थगित करने की अपील की है। इस दिशा में मेरी सरकार अपनी कोशिश जारी रखेगी।

इंडो-चाइना में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण आयोग, जिनका भारत अध्यक्ष है, कठिनाइयों के बावजूद सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और वहां शांति स्थिर रखी जा सकी है। लाओस में लाओस की सरकार और पाथेट लाओ के नेताओं के बीच समझौता एक शुभ घटना है और अब उस देश में राजनैतिक समझौते का मार्ग प्रशस्त समझना चाहिये।

मेरी सरकार ने यह खबर आश्चर्य और दु:ख के साथ सुनी कि बगदाद संधि के हाल में होने वाले अधिवेशन में कुछ देशों ने आणविक शस्त्रों से सज्जित होने की मांग की। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि कोई भी बड़ा राष्ट्र इस प्रकार के दृष्टिकोण और ऐसी इच्छाओं को प्रोत्साहन नहीं देगा।

अपने बारे में मेरी सरकार इस बात को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देना चाहती है कि यद्यपि हमें आज वैज्ञानिक ज्ञान और साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा यदि हम अपनी नासमझी में चाहें तो आणविक शस्त्र तैयार कर सकते हैं, तो भी हमारी कदापि यह इच्छा नहीं कि हम ऐसे शस्त्रों को प्राप्त करें अथवा तैयार करें अथवा उनका कभी प्रयोग करें या किसी अन्य देश द्वारा उनके प्रयोग को क्षमणीय समझें। इस क्षेत्र में हमारे प्रयत्न शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अणुशक्ति के उत्पादन तक ही सीमित रहेंगे।

संसद के सदस्यगण, मैं आपके प्रयत्नों में आप सबकी सफलता की कामना करता हूं और मेरा विश्वास है कि आपके प्रयत्न हमारे लोगों को अधिक सम्पन्न और सन्तुष्ट बनाने में और विश्व में शांति तथा सहयोग का संचार करने में सहायक होंगे।